

राजस्थान –सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/जे-97/2017/578 दिनांक:- 25.7.17

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी. (नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.13 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित नर्स-2 जिन्होंने 09 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आशास्वित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बेन्ड/च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1	जलेशिंह यादव नर्स-2	जयपुर	22.04.08	22.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800

नोट:-दिनांक 1.6.2002 के पश्चात यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।


  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/नर्स-2/जे-97/2017/578

दिनांक:- 25.7.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।